

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग

:: मंत्रालय ::

क्रमांक: 1240/आर.1308/2011/ ब-1/चार, भोपाल, दिनांक: 07/10/2011
प्रति,

समस्त कलेक्टर,
समस्त कोषालय अधिकारी,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- माह अक्टूबर-2011 का वेतन 24 एवं 25 अक्टूबर को भुगतान करने बाबत ।
--:000:--

राज्य शासन के कर्मचारियों को दीपावली के पूर्व वेतन भुगतान करने के उद्देश्य से राज्य शासन मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 206 (1) को शिथिल करते हुए आदेश देता है कि माह अक्टूबर-2011 का वेतन दिनांक 24 एवं 25/10/2011 को आहरण कर वितरित किया जाये ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डी० के० सक्सेना)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

क्रमांक: 1241/आर.1308/2011/ ब-1/चार, भोपाल, दिनांक: 07/10/2011
प्रतिलिपि :-

- 1/ आयुक्त, कोष एवं लेखा, संचालनालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेषित ।
- 2/ महालेखाकार, मध्य प्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेषित ।
- 3/ समस्त संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेषित ।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासनवित्त विभाग